

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

"प्रशासन गाँवों के संग अभियान- 2023"

2023/1034

प्रतिवेदन पटवारी हल्का: मऊ

श्री. राजस्व ग्राम मऊ की जमावंदी संख्या 2074-77 के खाता संख्या 65 में प्रार्थी का नाम दीप सिंह पुत्र/पत्नी/पति इंगर सिंह जाति राजपूत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी का वास्तविक नाम दीप सिंह पुत्र/पत्नी/पति इंगर सिंह है। जितने कागज के रूप में प्रार्थी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र मंगल है। अतः श्रीमानजी, मूल दस्तावेजों एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दीप सिंह पुत्र इंगर सिंह जाति राजपूत दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

हस्ताक्षर पटवारी 16/06/23 प. मऊ

जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त: मऊ

श्रीमानजी, राजस्व ग्राम मऊ की जमावंदी संख्या 2074-77 के खाता संख्या 65 में प्रार्थी का नाम दीप सिंह पुत्र/पत्नी/पति राजपूत जाति राजपूत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मूल दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का मऊ एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दीप सिंह पुत्र/पत्नी/पति इंगर सिंह जाति राजपूत दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

LR-47 17/06/23

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक 17/06/23

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

श्रीमानजी, राजस्व ग्राम मऊ की जमावंदी संख्या 2074-77 के खाता संख्या 65 में प्रार्थी का नाम दीप सिंह पुत्र/पत्नी/पति राजपूत जाति राजपूत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मूल दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का मऊ जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त मऊ एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दीप सिंह पुत्र/पत्नी/पति इंगर सिंह जाति राजपूत दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर (सी.कर)

आदेश (शिविर स्थान:- मऊ दिनांक:- 17/06/2023

जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का:- मऊ, जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त:- मऊ, जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर तथा मूल दस्तावेज:- आधार-कार्ड, पहचान-पत्र, राशन-कार्ड के (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 136 के अन्तर्गत) राजस्व ग्राम:- मऊ के खाता संख्या:- 65 में प्रार्थी का नाम दीप सिंह पुत्र इंगर सिंह के स्थान पर दीप सिंह पुत्र इंगर सिंह दर्ज कर दुरुस्त किया जाना है।

शिविर प्रभारी अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023 उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर पंचायत सचिव श्रीमाधोपुर